सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
(श्रव्य-दृश्य(ए वी) स्कंध)

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
04 जुलाई, 2025

परामर्शिका

विषय: डिजिटल डिलीवरी एजेंसियों के पैनलीकरण के लिए 27 जून, 2025 को आरएफपी संख्या एवी/03/2010(खंड-III) पर बोली-पूर्व बैठक - के संबंध में।

यह उपर्युक्त विषय के संदर्भ में है, जिसमें संभावित बोलीदाताओं ने 01 जुलाई 2025 को 12:00 बजे यथा निर्धारित बोली-पूर्व बैठक में भाग लिया था, जिन्होंने 27 जून 2025 के एवी/03/2010(खंड-III) में निहित प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न उठाए थे।

2. भावी बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर स्पष्टीकरण **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न हैं।

3. सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियां प्रस्तुत करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें।

4. यह परामर्शिका/शुद्धिपत्र अब से सभी उद्देश्यों के लिए मुख्य निविदा दस्तावेज का हिस्सा होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सत्ति किशोर कुमार)
निदेशक(श्रव्य-दृश्य)

अनुलग्नक

भावी बोलीदाताओं के प्रश्नों/बयानों का विवरण और स्पष्टीकरण:

क्रम संख्या	भावी बोलीदाताओं के प्रश्न/बयान	आरएफपी में प्रासंगिक खंड	स्पष्टीकरण
1.	तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में, क्या कार्य आदेश टीवी चैनलों से जुड़े किसी भी असाइनमेंट से संबंधित हो सकते हैं, या केवल वैद्य माने जाने वाले डिजिटल डिलीवरी से संबंधित हैं ?	धारा IV-क बिंदु 1(क)	तकनीकी मूल्यांकन के लिए, डिजिटल डिलीवरी से सीधे संबंधित दस्तावेज़ जैसे कि कार्य आदेश, करार, पूर्णता प्रमाणपत्र और साझेदार चैनलों से पत्र, भुगतान रसीदें या चालान - केवल एजेंसियों की अभिगम्यता का मूल्यांकन करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। डिजिटल डिलीवरी से असंबंधित प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2.	व्यवसाय में अनुभव के वर्षों की संख्या का आकलन करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से, कृपया पुष्टि करें कि क्या किसी प्रासंगिक कार्य अनुभव पर विचार किया जाएगा, या केवल डिजिटल डिलीवरी से संबंधित अनुभव को ही ध्यान में रखा जाएगा।	धारा IV-क बिंदु 1(घ)	तकनीकी मूल्यांकन के उद्देश्य से अनुभव के वर्षों की संख्या पूर्ण रूप से टीवी चैनलों को डिजिटल डिलीवरी सेवाओं से संबंधित होगी। एजेंसियों को आरएफपी में निर्दिष्ट सहायक दस्तावेज, जिसमें कंपनी पंजीकरण दस्तावेज, निगमन प्रमाणपत्र और कार्य आदेश या समापन प्रमाणपत्र शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से प्रासंगिक अनुभव की अवधि और प्रकृति को दर्शाते हैं, प्रस्तुत करने होंगे।
3.	क्या डिजिटल लाइब्रेरी आवश्यकता के भाग के रूप में सीबीसी द्वारा वास्तविक समय पहुँच के लिए सभी परिवर्तित और वितरित वीडियो फ़ाइलों को हाई-रिज़ॉल्यूशन प्रारूप में क्लाउड पर संग्रहीत करना अनिवार्य है?	धारा-IV, बिंदु (1)(छ)	डिजिटल लाइब्रेरी आवश्यकता के भाग के रूप में, एजेंसियाँ चैनलों पर डिलीवरी के बाद मूल हाई-रिज़ॉल्यूशन क्रिएटिव फ़ाइलों (जैसे, पूर्ण एचडी,

			4K) को सुरक्षित स्थानीय या ऑन-प्रिमाइस स्टोरेज सिस्टम या कोल्ड स्टोरेज में रख सकती हैं। इन फ़ाइलों के कम्प्रेस्ड MP4 संस्करणों को नियमित संदर्भ के लिए क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किया जाना चाहिए। एजेंसियों को इन लो-रिज़ॉल्यूशन वाली फ़ाइलों तक 24x7 क्लाउड एक्सेस सुनिश्चित करना चाहिए और जब भी सीबीसी द्वारा अनुरोध किया जाए, हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली फ़ाइलें मांग होने पर उपलब्ध करानी चाहिए।
4.	क्या लागत प्रति चैनल या प्रति चैनल समूह के लिए उद्धृत की जानी चाहिए? यह देखते हुए कि एक ही समूह के भीतर-अलग-अलग सर्वर या डिलीवरी सिस्टम पर विभिन्न चैनल संचालित हो सकते हैं, क्या पूरे समूह के लिए एक ही दर उद्धृत करना स्वीकार्य होगा?	धारा VI	एजेंसी प्रति चैनल, प्रति स्पॉट, प्रति डिलीवरी के आधार पर कीमत बोली उद्धृत करेगी (लागू करों को छोड़कर)।
5.	यदि समय सीमा के भीतर कोई स्पॉट उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कोई जुर्माना।	धारा V:	यह धारा V के खंड 19 में पहले से ही बता दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि स्पॉट सीबीसी से प्राप्त होने के 8 घंटे के भीतर टीवी चैनलों / डिजिटल सिनेमा / ओटीटी / एमएसओ को नहीं भेजा जाता है, तो सीबीसी द्वारा एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

*****